राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3620/2016

बिशम्बर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक (इंटेलिजेंस), राजस्थान जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (स्पेशल ब्रांच) (इंटेलिजेंस)जॉन, जयपुर सिटी, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गोवर्धन सिंह, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर आदेश दिनांक 23.05.1990 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी का नाम नियुक्ति आदेश में वरियता सूची क्रमांक 6 पर था एवं अन्य व्यक्ति शंभुसिंह एवं अनिल मल्होत्रा का नाम क्रमशः 7 एवं 18 पर था। उक्त आदेश दिनांक पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 10.08.1990 को कार्यग्रहण किया। वर्ष 1997 में प्रत्यर्थी विभाग ने हैड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति हेतु परीक्षा के लिए आवेदन मांगे। जिस पर अपीलार्थी उक्त परीक्षा में उपस्थित हुआ। आदेश दिनांक 08.08.1997 के द्वारा अपीलार्थी को सफल घोषित किया गया और अपीलार्थी का नाम लिखित परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची में 138 न. पर था एवं शंभुसिंह एवं अनिल मल्होत्रा के नाम क्रमशः 96 एवं 94 न. पर थे। प्रत्यर्थी विभाग ने अन्य आदेश दिनांक 23.08.1997 के द्वारा हैड कांस्टेबल पद की चयन सूची जारी की, जिसमें अनिल मल्होत्रा एवं शंभुसिंह के नाम मौजूद थे। परिपत्र दिनांक 10.01.2008 के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि एक ही जिले/यूनिट में एक ही वर्ष के चयनित व्यक्तियों की वरिष्ठता चयन सूची में अंकित मेरिट क्रमांक में रखी जायेगी। उक्त परिपत्र के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग ने अंतिम वरियता सूची जारी की।

वरियता सूची दिनांक 01.04.2008 की स्थिति के अनुसार जारी की। परंतु अपीलार्थी के संबंध में कोई आपत्तियां नहीं मांगी गई। यह भी अंकित किया कि अपीलार्थी की ओर से एक अभ्यावेदन दिनांक 15.05.2016 को भेजा गया, जिसमें यह अंकित किया कि किसी भी कर्मचारी की वरिष्ठता का आधार नियुक्ति के समय जारी वरिष्ठता सूची के आधार पर होती है, न कि पदभार ग्रहण करने की दिनांक से। हैड कांस्टेबल के पद पर लिखित परीक्षा में सफल व्यक्तियों का परिणाम घोषित हुआ तो अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति शंभुसिंह एवं अनिल मल्होत्रा को अपीलार्थी से ऊपर दर्शाया दिखाया गया। ऐसे में नियमों का उल्लंघन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर पत्र दिनांक 21.09.2016 के जरिये अपीलार्थी को यह सूचित किया गया है कि विभाग द्वारा अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। उक्त पत्र दिनांक 21.09.2016 को इस अधिकरण के समक्ष इस अपील के जरिये चुनौती दी है और यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी को दिनांक 05.02.2000 से हैड कांस्टेबल के पद पर, दिनांक 08.03.2005 से ए.एस.आई. के पद पर व दिनांक 01.01.2009 से एस.आई. के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया जाये।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि दिनांक 1–4–2009 के पूर्व विभाग में वरिष्ठता सूची डेट ऑफ ज्योईनिंग के आधार पर बनायी जाती थी व डेट ऑफ ज्योईनिंग के आधार पर शंभू सिंह व अनिल मल्होत्रा अपीलार्थी से वरिष्ठता में उपर थे। पुलिस मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 10–1–2008 के अनुसार वरिष्ठता सूची मेरिट क्रम से बनाये जाने के आदेश हुये थे। जिसकी पालना में वरिष्ठता सूची में संशोधन दिनांक 1–4–2009 की स्थिति के अनुसार किया गया था जबकि उससे पूर्व ही वर्ष 1997 में शंभूसिंह व अनिल मल्होत्रा हैड कानि. के पद पर पदोन्नत हो चुके थे। अतः यदि दिनांक 1–4–2009 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1990 में भर्ती कानि. की वरिष्ठता सूची मेरिट के आधार पर संशोधित भी की जाती तो भी शंभू सिंह व अनिल मल्होत्रा की पदोन्नति हो चुके होने के कारण कानि. पद की वरिष्ठता सूची में इनको अपीलार्थी से नीचे रखा जाना संभव नहीं होने से अपीलार्थी को किसी भी पद का लाभ प्राप्त नहीं होता। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का विभागीय स्तर पर परीक्षण किया गया तथा अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलवाया जाकर सुना गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गयी कार्यवाहीं नियमानुसार होने

के सम्बन्ध में उसे अवगत करा दिया गया। अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं होने बाबत उसे पत्र दिनांक 21–9–2016 (अपील का एनेक्जर–8) के द्वारा सूचित किया। वरिष्ठता के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बी.एस. बजवा बनाम पंजाब राज्य व अन्य में एस.सी.सी. 1998 (2) पेज नं. 523 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एक बार वरिष्ठता का निर्धारण होने के पश्चात् लम्बे अन्तराल के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एस.सी.टी. 2006 (1) पेज नं. 778 बलराम प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी कर्मचारी की पदोन्नति होने के लम्बे समय के उपरान्त उस पदोन्नति आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा प्रभावित कर्मचारी को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया। यह गलत है कि अपीलार्थी को बिना उसकी जानकारी में दिये वरिष्ठता सूची में शम्भू सिंह व अनिल मल्होत्रा से नीचे रख दिया हो बल्कि वास्तविकता यह है कि उच्च आरक्षक योग्यात्मक परीक्षा के लिखित परीक्षा के परिणाम दिनांक 8–8–1997 में इन्हें कानि. पद की ज्योईनिंग (सेवा में उपस्थिति दिनांक) के आधार पर वरिष्ठता के क्रम में रखा गया था, जिसमें अपीलार्थी की वरिष्ठता शम्भू सिंह व अनिल मल्होत्रा के बाद (अर्थात कनिष्ठ) थी। उल्लेखनीय है कि तत्समय पुलिस विभाग में वरिष्ठता सूची सेवा में उपस्थिति दिनांक (Date of Joining) से बनायी जाती थी, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा कभी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। यहां तक कि सेवा में उपस्थिति दिनांक के आधार पर ही जारी कानि. की वरिष्ठता सूची पर अपीलार्थी को हैड कानि. के पद पर वर्ष 2012–13 की योग्यात्मक परीक्षा में पदोन्नति दी जा चुकी है, तब भी उसने वरिष्ठता सूची पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की ।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। इस अपील में अपीलार्थी ने यह आपत्ति की हैं कि हैड कांस्टेबल पद के लिए आयोजित परीक्षा में अपीलार्थी उपस्थित हुआ था, जिसके उपरांत लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण रहें अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 08.08.1997 को जारी की गई। जिसमें अपीलार्थी को शंभुसिंह एवं अनिल मल्होत्रा से नीचे दर्शाया गया। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 138 पर दर्शाया गया, जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ अनिल मल्होत्रा एवं शंभुसिंह का नाम क्रमशः 94 एव 96 पर अंकित किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि शंभुसिंह एवं अनिल

मल्होत्रा दोनों ही प्रथम नियुक्ति के समय वरियता सूची में अपीलार्थी से कनिष्ठ थे। ऐसे में बाद में लिखित परीक्षा के उपरांत जारी सूची में शंभुसिंह एवं अनिल मल्होत्रा को अपीलार्थी से ऊपर दर्शाया जाना गलत है। उनका यह भी तर्क रहा है कि लिखित परीक्षा के परिणाम में अपीलार्थी को कनिष्ठ बताते हुए हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया। वरियता सूची दिनांक 08.08.1997 (अनुलग्नक–2) को जारी हुई, जिसे अपीलार्थी ने इस अपील के जरिये वर्ष 2016 में चुनौती दी है। इस प्रकार अपीलार्थी ने वरियता सूची जारी होने के 9 वर्ष बाद उक्त वरियता सूची को इस अधिकरण में चुनौती है। इस वरियता सूची में अपीलार्थी ने जिन व्यक्तियों शंभुसिंह एवं अनिल मल्होत्रा को अपने से कनिष्ठ होना बताया है, उनकी पदोन्नति एएसआई एवं एसआई के पद पर हो चुकी है, जो तथ्य अपीलार्थी ने अपनी अपील में भी अंकित किये हैं। पूर्वी में नियुक्ति की दिनांक के आधार पर वरियता सूची तैयारी की जाती थी, जिसके आधार पर शंभुसिंह एवं अनिल मल्होत्रा अपीलार्थी से वरिष्ठ थे और उसके विरूद्ध अपीलार्थी ने कोई आपत्ति नहीं की। माननीय उच्चतम न्यायाल ने प्रकरण बी.एस. बजवा बनाम पंजाब राज्य व अन्य में एस.सी.सी. 1998 (2) पेज नं. 523 में निम्न प्रकास से मत व्यक्त किया है:–

> *"Having heard both sides we are satisfied that the writ petition was wrongly entertained and allowed by the single Judge and, therefore, the judgments of the Single Judge and the Division Bench have both to be set aside. The undisputed facts appearing from the record are alone sufficient to dismiss the writ petition on the ground of latches because the grievance made made by B.S. Bajwa and B.D. Gupta only in 1984 which was long after they had entered the department in 1971-72. During this entire period of more than a decade they were all along treated as junior to the order aforesaid persons and the rights inter se had crystalised which ought not to have been re-opened after the lapse of such a long period. At every stage the others were promoted before B.S. Bajwa and B.D.Gupta and this position was known to B.S. Bajwa and B.D. Gupta right from the beginning as found by the Division Bench itself. It is well settled that in service matters the question of seniority should not be re- opened in such situations after the lapse of a reasonable period because that results in disturbing the settled position which is not justifiable. There was inordinate delay in the present case for making such a grievance. This alone was sufficient to decline interference under Article 226 and to reject the writ petition.*
>
> *In view of the above conclusion it is not necessary for us to express any opinion on the merits of the point raised buy B.S. Bajwa and B.D. Gupta. We make it clear that the view thereon taken by the High Court is not to be treated as concluded or having affirmation of any kind. The appeals of B.S.Bajwa and B.D.Gupta are dismissed and the appeal filed by D.P.Bajaj and Jagir Singh is allowed. With the result that the judgment of the Single Judge of the High Court is set aside and the writ petition filed by B.S.Bajwa and B.D.Gupta stand dismissed."*

4. अपीलार्थी पदोन्नति के संबंध में काफी समय तक मौन रहा और काफी लंबे समय पश्चात, जो इस प्रकरण में 9 वर्ष का है, के बाद अधिकरण में उपस्थित हुआ है। इतने लम्बे समय पश्चात वरियता सूची को पुनः निर्धारित किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी स्वयं देरी से उपस्थित हुआ है, जिसके लिए अपीलार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी की यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)